अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

कालूराम वगै0 बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल0आर0एक्ट — मु0नं0–103/2021

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.05.2024	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 2.400 है0 वाके ग्राम मीना सीमला तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है। वर्तमान खसरा नम्बर 393 के पुराने नम्बर 230/2 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा रहे है। साबिक खसरा नम्बर 230/2 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा के सैटलमेण्ट के दौरान नये नम्बर 393 रकबा 2.4000 है0 बनाये गए लेकिन साबिक नम्बर के रकबे 9 बीघा 18 बिस्वा को हैक्टेयर में परिवर्तित कर 2.4000 है0 कर दिया गया जिसकी बीघा में माप 9 बीघा 10 बिस्वा आती है जबकि सैटलमेण्ट से पूर्व प्रार्थीगण की भूमि का रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा था। इस प्रकार सैटलमेण्ट के दौरान नक्शे में परिवर्तन कर नक्शे में प्रार्थीगण का रकबा घटा दिया गया, तथा किशनलाल का राजस्व रिकॉर्ड में नाम किशनसहाय दर्ज कर दिया गया प्रार्थी किशनलाल पुत्र विशन्याराम के सभी सरकारी दस्तावेजात में सही नाम किशनलाल दर्ज है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर सैटलमेण्ट के दौरान प्रार्थीगण की भूमि के कम किए गए रकबे को दुरूस्त कर 2.4000है0 के स्थान पर 2.5047 है0 दर्ज करने एवं किशन सहाय पुत्र विशन्याराम के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम किशनलाल पुत्र विशन्याराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस का ध्यानूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जवाब तहसीलदार सिकराय का अवलोकन किया गया। जवाब में तहसीलदार सिकराय द्वारा यह तथ्य अंकित किया है कि ग्राम मीना सीमला के हाल खसरा नम्बर 393 रकबा 2.40 है0 साबिक खसरा नम्बर 230/2 रकबा 9–18 बीघा मिलान क्षेत्रफल अनुसार दर्ज है। साथ ही जवाब में यह भी स्वीकार किया गया है कि साबिक नम्बर के रकबे 9 बीघा 18 बिस्वा की हैक्टेयर में माप 2.50 है0 होना चाहिए था जबकि साबिक नम्बर 230/2 के नये नम्बर 393 का रकबा 2.40 दर्ज करते हुए उक्तानुसार ही तरमीम वर्तमान नक्शे में कर दी एवं खसरा नम्बर 393 के लगता हुआ खसरा नम्बर 394 का सैटलमेण्ट के बाद रकबा बढाकर दर्ज कर दिया। साथी ही प्रार्थी का नाम भी सभी दस्तावेजात मे किशनलाल होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायाचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर ग्राम मीना सीमला तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 393 का रकबा 2.40 है0 के स्थान पर 2.50 है0 दर्ज करने एवं सेटलमेंट से पूर्व के नक्शे अनुसार नक्शाशीट में तरमीम करने तथा प्रार्थी किशनलाल का नाम किशन सहाय के स्थान पर किशनलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को प्रदान किए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	